हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सरकारी पेरोकार उभय वकील अप्रार्थी उपस्थित। आदेश पृथक लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक आदेश यह प्रकरण चलने योग्य नहीं पाया जाने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
रोहट

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) जिला पाली,
बईजलास श्री अजय आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–11/2010 (नया सीलिंग कानून)

सायल :–

राजस्थान राज्य सरकार

बनाम

गैरसायल :–

अमरसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पाती तहसील रोह: जिला–पाली,

उपस्थित :–
श्री नायब तहसीलदार रोहट,
श्री दौलत मकवाणा, अधिवक्ता गैरसायल

राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम. 1973 की धारा–15 (1) के अन्तर्गत।

दिनांक : 09-01-2019

: आदेश :

तहसील पाली से प्राप्त विवरण अनुसार गैरसायल के खाते मे सीलिंग सीमा के अधिक भूमि धारण करने से गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण पत्रावली पेश की गई। अतः गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को धारा–11 का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह चारण ने दिनांक 30–12–1997 को वकालतनामा एवं जवाब हेतू अवसर चाहा तथा दिनांक 2–2–1998 को वकालतनामा पेश किया। दिनांक 12–5–1998 को डी.एस. 12 के त त नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर गैरसायल को डी.एस. 12 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया जिसका गैरसायल ने जवाब प्रस्तुत किया।

हमने उभय पक्ष सरकारी पेरोकार व वकील अप्रार्थी की बहस को सुना। राजकीय अधिवक्ता नायब तहसीलदार रोहट ने अपनी बहस मे अवगत कराया कि असेसी अमरसिंह ग्राम पाती के खाता संख्या 42, 295 एवं 297 अनुसार कुल 348 बीघा 06 बिस्वा भूमि धारण करता था। उसके परिवार के सदस्यो की संख्या मात्र 5 थी। अतः वह एक यूनिट के हिसाब से 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण कर सकता था। यह भी निवेदन किया कि दिनाक 1–1–1973 व भी असेसी अमरसिंह द्वारा 348 बीघा 06 बिस्वा भूमि धारण की जाती थी। अतः नये सीलिंग कानून के प्रावधानो के तहत ... भूमि धारण कर सकता था तथा अधिशेष भूमि का ...

Scanned by CamScanner